न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण GCMS NO 2017/00227
दायरा तिथि : 10.11.2017
निर्णय दिनांक : 29-08-2024

वादीः–

स्व. प्रभादेवी वैष्णव पुत्री जीवनदास के का.मु.–

1. दिव्यांगना पुत्री स्व. प्रभादेवी वैष्णव
2. प्रियांगना पुत्री स्व. प्रभादेवी वैष्णव
3. नित्यांगना पुत्री स्व. प्रभादेवी वैष्णव
4. राजेन्द्रकुमार पति स्व. प्रभादेवी वैष्णव जाति साद निवासी बाली हाल राणकपुर रोड, सादडी तह. सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. जीवनदास पुत्र हनुमानदास
2. भरतकुमार पुत्र जीवनदास जाति साद निवासी तोपखानों की बास–बाली तहसील बाली
3. ममता पुत्री जीवनदास पत्नि गोरधनदास जाति साद निवासी मुख्य बाजार, इकबालगढ जिला बनासकॉठा (गुजरात)
4. कीर्ति पुत्री जीवनदास पत्नि योगेश कुमार जाति साद निवासी रानी गांव रोड,पंचायत समिती के पास, रानी स्टे. जिला पाली
5. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–

उपस्थितिः–
1.श्री गणपतलाल चौधरी..... अभिभाषक वादीगण की ओर से
2. श्री अमृत परिहार ..... अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 01, 02 की ओर से
3. श्री मनोहरसिंह शेखावत..... अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 03, 04 की ओर से
4. नायब तहसीलदार, बाली .....पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 29-08-2024

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीनी प्रभादेवी ने वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर सरहद मौजा पुनाडिया में स्थित भूमि गत खसरा नंबर 97, 98, 99 कुल रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा के भू–भाग से बने हाल खसरा नंबर 114 रकबा 2 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नंबर 115 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता के 1/5 हिस्से कि घोषणा खातेदारी के साथ अपने हिस्से बंट की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र में वादीनी द्वारा इसका आधार यह बताया कि वादीनी के उक्त भूमि वादीनी के दादा हनुमानदास पुत्र गोपालदास की खरीदशुदा भूमि है। वादीनी के दादा श्री हनुमानदास जी की मृत्यु हो जाने के बाद प्रतिवादी सं. 1 जो वादीनी के पिता है ने भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान वादग्रत भूमि स्व. हनुमानदास की पैतृक पुश्तैनी भूमि होने के बावजूद प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में बक्शीशनामा दिनांक 26.07.2017 को प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में कर दिया। उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 की स्वर्जीत सम्पत्ति ना होकर पुश्तैनी भूमि होने से प्रतिवादी सं. 1 को वादग्रस्त भूमि बक्शीश के अधिकार नही है तथा पुश्तैनी भूमि में वादीनी का जन्म लेते ही हक अधिकार उत्पन्न होने से हनुमानदास जी के तमाम वारिसानों में हक हिस्सा अनुसार वादीनी का 1/5 हिस्सा होता है। वादीनी द्वारा वादपत्र में उल्लेखीत तथ्यों की पुष्टी में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य निम्न दस्तावेज पेश किये। प्रमाणित प्रतिलिपियां जमाबंदी संवत 2024 से 2027 व 2028 से 2031, नामान्तरणकरण सं. 37 दिनांक 04.06.1961, नामांतरणकरण सं 80 दिनांक 05.09.1971, नामान्तरणकरण सं. 171 दिनांक 31.10.1972, नामान्तरणकरण सं. 172 दिनांक 31.10.1972, मिलान क्षेत्रफल, खतौनी बन्दोबस्त संवत 2037 से 2056, चालु जमाबंदी कम्प्युटर से निकाली हुई, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी चालू संवत 2069 से 2072, नामान्तरणकरण सं. 538 दिनांक 20.09.2017, नक्शा ट्रैस की प्रमाणित प्रतिलिपी, प्रमाणित प्रतिलिपी बक्शीशनामा 26.07.2017, प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र जो सूचना अधिकार के तहत मांगी तथा प्रार्थना पत्र वाली दस्तावेज, जीवनदास का आधार कार्ड, खातेदारी बेचान लिखत। इन अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह पीडब्लु–1 वादीनी प्रभादेवी के बयान कलमबद्ध करायें गये।

पेज लगातार.....02

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gcms No 2017/00227
अनवान प्रभादेवी वैष्णव बनाम जीवनदास वगैरा
अंतर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादीनी के वादपत्र का जवाब प्रतिवादी सं. 01 व 02 द्वारा पेश कर वादपत्र में वर्णित तथ्यों से असहमती प्रकट करते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 जीवनदास जी के हक हकूकों की भूमि रही है जिस भूमि में वादीनी को प्रतिवादी सं 1 के जीवनकाल में कोई हक अधिकार प्राप्त नही होने से वादीनी का वाद खारिज योग्य है। वादीनी के दादा हनुमानदास पुत्र गोपालदास की मृत्यु वादीनी के जन्म से पहले होने तथा हनुमानदास जी की मृत्यु के समय उनके एकमात्र जायंन्दा पुत्र प्रतिवादी सं. 1 जीवनदास पुत्र हनुमानदास होने से सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान उत्तराधिकार के तहत भू–अभिलेखों में प्रतिवादी सं. 1 का नाम अंकन किया गया। वादग्रस्त कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 1 जीवनदास विधिक तौर से मालिक है एवं हनुमानदास जी के निर्वसीयती स्वर्गवास से धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत प्रथम श्रेणी के वारिस होने से प्रतिवादी सं 1 जीवनदास पुत्र हनुमानदास जी का नाम अधिकार अभिलेखों में दर्ज किया गया। वादग्रस्त कृषि भूमि कभी भी सहदायिकी अथवा संयुक्त हिन्दु परिवार की संम्पत्ति नहीं रही है। जिससे वादीनी को वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के जीवनकाल में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादग्रंस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 जीवनदास को उत्तराधिकार में प्राप्त होने से वादग्रस्त भूमि का हस्तांतरण करने का अधिकार जीवनदास को होने से प्रतिवादी सं 1 जीवनदास द्वारा प्रतिवादी सं. 2 भरतकुमार को पंजीबद्ध बक्शीशनामा दिनांक 26.07.2017 के जरिये दान की है। वादीनी जब तक रजिस्टर्ड बक्शीशनामा दिनांक 26.07.2017 को सक्षम सिवील न्यायालय से निरस्त नहीं करवा देती तब तक वादीनी का घोषणा खातेदारी का वाद परिपोषणीय नहीं है। वादीनी का वादग्रस्त कृषि भूमि के किसी भी हिस्से भू–भाग पर कब्जा नहीं होने से वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत वादीनी के कोई वाद हेतुक पैदा नहीं होता है। जिससे वादीनी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जवाब में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य पिंकी देवी उर्फ प्रभादेवी का स्कूल प्रमाण पत्र, सिविल वाद संख्या 3/19 प्रभादेवी बनाम जीवनदास के आदेशिका दिनांक 01.10.2021 एंव 15.11.2021 एवं 14.12.2021 की आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि मय दावा प्रति, हनुमानदासजी का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश की गई तथा बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह डीडब्ल्यू–1 जीवनदास पुत्र हनुमानदास के बयान कलमबद्ध कराये गये। इसी प्रकार वादीनी के वाद पत्र का जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 03 व 04 ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर वादीनी का जन्म हनुमानदास पुत्र गोपालदास के मृत्यु के बाद होने से वादग्रस्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं होने तथा वादग्रस्त कृषि भूमि के किसी हिस्से भू–भाग पर वादीनी का कब्जा नहीं होने से वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने से वादीनी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वाद कार्यवाही के दौरान वादीनी की मृत्यु होने से उनके विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया तथा प्रकरण में दोनों पक्षों की साक्ष्य पूर्ण होने पर उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वादीनी के अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि वादग्रस्त भूमि ग्राम पुनाडिया के गत खसरा नंबर 97, 98, 99 कुल रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा से बने हाल खसरा नंबर 114, 115 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.03 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल गै.मु. रास्ता वादीनी के दादा श्री हनुमानदास पुत्र गोपालदास की खरीदसुदा व नियमनशुदा भूमि होने से दादा हनुमानदास की स्व अर्जित सम्पत्ति है। वादीनी का वादग्रस्त भूमि में जन्म से हक अधिकार उत्पन्न है। स्व. हनुमानदास जी के वारिस वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 है। हनुमानदास जी की मृत्यु 40 वर्ष पूर्व हो चुकी है। हनुमानदास जी के मृत्यु के बाद हिन्दू उत्तराधिकारिता के प्रावधानों अनुसार दादा से प्राप्त वादग्रस्त भूमि में वादीनी का 1/5 हिस्सा के हक अधिकार होते हुये सम्पूर्ण भूमि में हनुमानदास जी की मृत्यु के बाद वादीनी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 जीवनदास जी ने दौराने सैटलमेंट राजस्व रेकर्ड में अकेले का नाम दर्ज करवा दिया। जबकि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 की स्व अर्जित सम्पत्ति न होकर पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति थी। रिकॉर्ड में दर्ज गलत इन्द्राज का फायदा उठाते हुये वादग्रस्त भूमि का वादीया की जानकारी के बाले–बाले दिनांक 26.07.2017 को प्रतिवादी संख्या 02 के नाम बख्शीशनामा तहरीर करवा दिया। इस प्रकार पैतृक पुश्तैनी भूमि को बेचान बख्शीश के अधिकार नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किया गया बख्शीशनामा वादीया के हकूकों के विरूद्ध बेअसर होने से वादीया अपने पुश्तैनी हक हिस्से अनुसार 1/5 हिस्सा की घोषणा खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है तथा घोषणा खातेदारी के पश्चात विभाजन एवं सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कराने के अधिकारी है। विद्वान वकील वादीनी द्वारा अपनी दलीलों के समर्थन में निम्न कानूनी दृष्टांत पेश किये:–

1. RRD -1984 PAGE 863
2. RRD- 1990 PAGE 32
3. 2019 DNJ (SC) PAGE 115

विद्वान वकील वादीनी की दलीलों का खंडन करते हुये प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता श्री [illegible] परिहार द्वारा बहस में जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि वादग्रस्त कृषि भूमि पुश्तैनी भूमि नहीं होकर जीवनदास की स्व अर्जित सम्पत्ति है। जिससे वाद समय पूर्व होने से काबिल खारिज है। वादीनी के दादा हनुमानदास पुत्र गोपालदास की मृत्यु दिनांक 18.04.1974 को हुई

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.......03

Scanned with CamScanner

है तथा वादीनी प्रभादेवी जिसको पिंकी कुमारी के नाम से जाना जाता है। उसके जन्म के संबंध में घांची जसाजी पन्नाजी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रडावा द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार पिंकी कुमारी पुत्री जीवनदास की जन्म दिनांक विद्यालय रिकॉर्ड अनुसार दिनांक 10.07.1976 है। इस प्रकार वादीनी के दादा हनुमानदास की मृत्यु के लगभग दो वर्ष तीन माह के पश्चात वादीनी प्रभादेवी का जन्म होना प्रमाणित होने से वाद में वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने से वाद खारिज योग्य है। बहस के दौरान वकील प्रतिवादी श्री अमृत परिहार द्वारा वादीनी द्वारा सिविल न्यायालय बाली में बख्शीशनामा दिनांक 26.07.2017 को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत वाद पत्र एवं वाद पत्र की आदेशिकाओं की प्रतियां पेश कर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कर दलील दी कि वादीया का तथाकथित वाद दिनांक 14.12.2021 को खारिज हो चुका है जिससे वादग्रस्त भूमि में वादीया के कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होने से वादीया का वाद खारिज किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलों के समर्थन में विद्वान वकील प्रतिवादी श्री अमृत परिहार द्वारा निम्न कानूनी दृष्टांत पेश किये:–

1. 2013 AIR CC 599 (MAD) जिसके अनुसार–Hindu succession act (30 of 1956), S. 8-Succession-Death of male Hindu owing immovable properties dies-Wife and children would be class I hear to inherit his property which cannot be described as ancestral property- They would inherit property as their absolute property-paternal grandson of individual, straightway would not be intitled to lay claim over property of grand-father,less property happens to be ancestral property.
2. Citation: 2016 DNJ (SC) 258 जिसके अनुसार– Hindu succession act 1956-sec.8 – suit filed by son of Defendant No. 3 – first Appeal was allowed and set aside the judgment and decree holding that the plaintiff was not entitled to partition while his father was alive- plaintiff was born in 1977 and no such share could be allotted to him- On the death of 'JS' in 1973 (Grandfather) devolved by succession under Section 8- Ancestral property to be ceased to be joint family property on the date of death of 'JS' Held, Suit for partition was not maintainable.
3. 2017(2) RRT 1443 जिसके अनुसार–Code of civil procedure, 1908-Sec. 96 and order 14, Rule 1 and 2 – Suit for partition and injunction decided on preliminary issue and dismissed the suit- In the year 1996 appellant daughter was not the coparcener-Property came into a share of father on partition and it was his self acquired property- Father defendant was competent to make gift of the property-Father died before comming into force of act of 2005 (amended)- Held, Appellant is not entitled to any relief.
4. 2020(1) RRT 3 जिसके अनुसार–सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 14,नियम 1 व धारा 115–तनकी नं. 5, 10 से 13 व 15 को प्रारंभिक तनकी के रूप में निर्णीत करने हेतु विचारण न्यायालय ने प्रार्थना स्वीकार नहीं की– सह–दायिकी संम्पत्ति –विभाजन हेतु वाद–तनकीं नं 10 वाद की पोषणीयता के संबंध में है–पोषणीयता का प्रश्न शुद्ध विधि का प्रश्न है–पिता के जीवनकाल में पुत्र द्वारा विभाजन हेतू वाद क्या पोषणीय है, विधि का प्रश्न है–तनकी नं 11, 12, 13 व शुद्ध विधि की तनकियां नहीं है–निर्णीत, आदेश अपास्त किया तथा तनकी नं 10 को प्रारंभिक तनकी के रूप में निर्णीत करने हेतू विचारण न्यायालय को निर्देश दिया।
5. 2020(2)RRT 858 जिसके अनुसार–हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 धारा 6– विभाजन व घोषणा हेतु वाद– 1965 में सुखदेव की मृत्यु के बाद सम्पत्ति 'जे.आर' और 'वी.आर' को न्यागत हुई–साहेबलाल पुत्र 'जे.आर' की मृत्यु वर्ष 1957 में हुई– वर्ष 1967 में 'जे.आर' व 'पी.आर' ने सम्पत्ति विभाजित की और 'जे.आर' ने 21.07.1979 को उसके पौत्रों प्रतिवादी सं. 1 से 4 को विक्रय की–'जे.आर' की मृत्यु तक साहेबलाल का सम्पत्ति में अधिकार नहीं था– वाद खारिज किया–प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वाद डिक्री किया–उच्च न्यायालय ने निर्णय अपास्त किया और वाद खारिज किया–अपीलांट ने विभाजन को चुनौती नही दी न विक्रय विलेखों को–अपीलांट का सम्पत्ति में अधिकार नहीं–निर्णीत अपास्त करने में उच्च न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है– अपील असफल हुई व खारिज की।
6. 2008(1) RRT 648 जिसके अनुसार– हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 धारा 6, 8 व

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

3

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार.........04

Scanned with CamScanner

9-1972 मे 'बी' की मृत्यु हुई और पीछे 'एस' व उसकी तीन बहनों को छोड़ा और उसकी सम्पत्ति विभाजित हुई और 1973-74 में प्रत्येक के नाम नामान्तरित की-'एस' द्वारा किया गया हस्तान्तरण अपीलाण्ट द्वारा आपेक्षित नही किया जा सकता क्योंकि सम्पत्ति व्यक्तिवार न्यागत हुई न कि शाखावार-निर्णीत, वाद सही खारिज किया।

7. AIR 1987 SUPREME COURT 558 जिसके अनुसार- Hindu succession act (30 of 1956) S.8 –Family in question governed by Mitakshra School of Hindu Law-Property devolved on Hindu under S.8 would not be HUF in his hand vis-a-vis his own sons.

प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के अधिवक्ता श्री मनोहरसिंह चौहान द्वारा बहस में जवाबदावे में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकरण में वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने से वादीया का वाद खारिज किये जाने की दलील दी।

पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया। उभयपक्ष वकुलाय की बहस एवं हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों एवं बहस के दौरान प्रस्तुत कानूनी दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों पर मनन किया गया। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात प्रकरण में कायम वाद बिन्दुओं को निम्नानुसार निर्णीत किया जाता है:-

1. आया वादग्रस्त भूमि ग्राम पुनाड़िया तहसील बाली के खसरा नंबर 114, 115 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.03 हैक्टर वादीनी के पिता की पुश्तैनी भूमि होने से वादीनी 1/5 हिस्सा की घोषणा खातेदारी पाने की आधिकारिणी है ? वादीनी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादीनी का था । वादीनी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदीयां प्रदर्श-1, प्रदर्श- 2, एवं नामांतरणकरण प्रदर्श-4, प्रदर्श-5, प्रदर्श-6, प्रदर्श-7 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादीनी के दादा हनुमानदास पुत्र गोपालदास की स्व अर्जित सम्पत्ति होना प्रमाणित है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपने जवाब में यह उल्लेखित किया हैं कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी न होकर प्रतिवादी संख्या-01 जीवनदास की स्व0 अर्जित है, परन्तु वर्णित तथ्यों की पुष्टि में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादग्रस्त भूमि को वादीनी के पिता की पुश्तैनी भूमि मानने में कोई आपत्ति नहीं है। हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि स्व. हनुमानदास की मृत्यु के समय उनका पुत्र जीवनदास वारिस होने से उनके नाम का नामांतरणकरण सेटलमेंण्ट के दौरान स्वीकृत किया जाकर मिसल बन्दोबस्त संवत 2037 से 2056 में ग्राम पुनाड़िया के खसरा नंबर 114, 116, 117, 115 कुल खसरा 04 कुल रकबा 2.49 हैक्टर जीवनदास वल्द हनुमानदास कौम साद साकिन बाली के नाम खातेदारी दर्ज की गई। वादपत्र में वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों व मौखिक साक्ष्यों के बयानों से हस्तगत प्रकरण में यह प्रमाणित है कि वादीनी के दादा हनुमानदास का निर्वसीयतीय स्वर्गवास दिनांक 18.04.1974 को हुआ। जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध ईएक्स ए-3 की प्रति में दर्ज इन्द्राज से होती है। पत्रावली पर उपलब्ध्य घांची जराजी पन्नाजी राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय राडावा बाली द्वारा जारी प्रमाण पत्र एक्स ए-4ए की प्रति के अनुसार पिंकी उर्फ प्रभादेवी पुत्री जीवनदास की जन्म दिनांक विधालय रिकार्ड के अनुसार दिनांक 10.07.1976 है। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार वादीनी प्रभादेवी के जन्म से पूर्व उनके दादा हनुमानदास जी का स्वर्गवास हो चुका था। वादीनी ने उक्त वाद पुश्तैनी भूमि होने का कथन करते हुये 1/5 हिस्सा घोषणा खातेदारी चाही है। इस संबंध में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 की अनुसूची प्रथम में वर्णित वारिसान की सूची का अवलरोकन किया जिसके अनुसार पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पुर्व मृत पुत्र की पुत्री, पुर्व मृत पुत्री का पुत्र, पुर्व मृत पुत्र की विधवा, पुर्व मृत पुत्र के पुर्व मृत पुत्र का पुत्र, पुर्व मृत पुत्र के पुर्व मृत पुत्र की पुत्री, पुर्व मृत पुत्र के पुर्व मृत पुत्र की विधवा प्रथम श्रेणी के वारिसान है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के खातेदार वादीनी के दादा हनुमानदास की मृत्यु के समय मौजुद वारिस उनका पुत्र जीवनदास प्रथम श्रेणी का वारिस होने से सेटलमेण्ट के दौरान नामान्तरणकरण दर्ज हुआ। वादीया ने 1/5 हिस्सा की खातदेरी पुश्तैनी भूमि में चाही है इस संबध में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6(क) के अनुसार पुत्र की तरह उसी रीती में जन्म से उसके अपने अधिकार में सहदायिकी होंगे परंतु हस्तगत प्रकरण में वादीया का जन्म अपने दादा की मृत्यु के दो वर्ष तीन माह प्श्चात हुआ है। इस संबंध में सहदायिकी सम्पदा में दादा की मृत्यु के पश्चात जन्म होने की स्थिति में वादीया को हक प्राप्त नही होने की पुष्टि कानूनी दृष्टांत Uttam Versus Saubhag Singh and others, AIR 2016 SC 1169:2016(4) SCC 68: 2016(2) SCD 1387(SC):2016(2) JT 588 : 2016(3) Scale 92 :2016(2) Supreme 345 : 2016(2) SLT 331. में प्रतिपादित सिद्धांतो से भी होती है। इस प्रकार प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत 2013 AIR CC 599 (MAD) जिसके अनुसार–Hindu succession act

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.........05

Scanned with CamScanner

(30 of 1956), S. 8-Succession-Death of male Hindu owing immovable properties dies-Wife and children would be class I hear to inherit his property which cannot be described as encestral property- They would

inherit property as their absolute property-paternal grandson of individual, straightway would not be intitled to lay claim over property of grand-father,less property happens to be ancestral property.

8. Citation: 2016 DNJ (SC) 258 जिसके अनुसार– Hindu succession act 1956- sec.8 – suit filed by son of Defendant No. 3 – first Appeal was allowed and set aside the judgment and decree holding that the plaintiff was not entitled to partition while his father was alive- plaintiff was born in 1977 and no such share could be allotted to him- On the death of 'JS' in 1973 (Grandfather) devolved by succession under Section 8- Ancestral property to be ceased to be joint family property on the date of death of 'JS' Held, Suit for partition was not maintainable. भी हस्तगत प्रकरण पर सटीक है। जिससे उक्त तनकी वादीनी के विरूद्ध तथा प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

2. आया वादीनी 1/5 हिस्सा की घोषणा खातेदारी के पश्चात 1/5 हिस्सा अनुसार वादग्रस्त भूमि के संबंध में बाई मिट्स एंड बाउण्ड्स के विभाजन की डिकी जारी कराने के साथ प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपने हिस्से बंट में आई भूमि के संबंध में सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिकी पारित कराने की अधिकारीणी है?

वादीनी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादीनी का था। तनकी सं. 1 में किये विवेचन के अनुसार वादीया का जन्म उसके दादा की मृत्यु के दो वर्ष तीन माह पश्चात होने तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के तहत वादीनी द्वारा 1/5 हिस्सा की घोषणा खातेदारी अनुतोष को अस्वीकार करते हुये तनकी सं. 1 वादीनी के विरूद्ध निर्णीत किया जा चुका है। इस प्रकार वादीनी जब वादग्रस्त भूमि के 1/5 हिस्सा की खातेदार घोषित होने की अधिकारीणी नहीं रहने से विभाजन का अनुतोष प्राप्त करने की भी अधिकारी नहीं रहने से तनकी सं. 2 वादीनी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

3. आया वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि न होकर जीवनदासजी की स्व अर्जित भूमि होने से वादीनी को कोई हक अधिकार पैदा नहीं होने से वाद वादी खारिज योग्य है?

प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं जवाबदावा के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों से प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि के खातेदार हनुमानदास पुत्र गोपालदास के देहांत के पश्चात उनके वारिस इकलौते पुत्र जीवनदास के नाम नामांतरणकरण दर्ज होकर सैटलमेण्ट पश्चात की मिसल बन्दोबस्त संवत 2037 से 2056 में वादग्रस्त भूमि के अधिकार अभिलेखों में बतौर खातेदार जीवनदास पुत्र हनुमानदास का नाम दर्ज किया गया। तथा तत्समय वादीया का जन्म नही होने से तनकी सं. 1 वादीनी के विरूद्ध में निर्णीत की गई तथा इसी आधार पर तनकी सं. 2 भी वादीनी के विरूद्ध निर्णीत की गई। परिणामस्वरूप तनकी सं 3 प्रतिवादीगण के पक्ष में तथा वादीनी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

4. अनुतोष ?

तनकी सं. 1 से 3 वादीनी के विरूद्ध निर्णीत होने से वादीनी किसी प्रकार का अनुतोष पाने की अधिकारीणी नहीं रहती है।

तनकी सं. 1 से 3 वादीनी के विरूद्ध निर्णीत होने के पश्चात हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है की वादीनी प्रभादेवी का जन्म उसके दादा हनुमानदास पुत्र गोपालदास की मृत्यु के दो वर्ष तीन माह पश्चात दिनांक 10.07.1976 को हुआ। जिससे हस्तगत प्रकरण में वाद हेतुक ही उत्पन्न नही होता है। अतः वादी द्वारा ग्राम पुनाडिया स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 114 रकबा 2.00 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नंबर 115 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.03 हैक्टर के संबंध मे वादीया के द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री विनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 29-08-24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

डिगरी मुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादी:–

स्व. प्रभादेवी वैष्णव पुत्री जीवनदास के का.मु–

1. दिव्यांगना पुत्री स्व. प्रभादेवी वैष्णव
2. प्रियांगना पुत्री स्व. प्रभादेवी वैष्णव
3. नित्यांगना पुत्री स्व. प्रभादेवी वैष्णव
4. राजेन्द्रकुमार पति स्व. प्रभादेवी वैष्णव जाति साद निवासी बाली हाल राणकपुर रोड, ग्रादडी तह.सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. जीवनदास पुत्र हनुमानदास
2. भरतकुमार पुत्र जीवनदास जाति साद निवासी तोपखानों की बास–बाली तहसील बाली
3. ममता पुत्री जीवनदास पत्नि गोरर्धनदास जाति साद निवासी मुख्य बाजार, इकबालगढ जिला बनासकॉठा (गुजरात)
4. कीर्ति पुत्री जीवनदास पत्नि योगेश कुमार जाति साद निवासी रानी गांव रोड,पंचायत समिती के पास, रानी स्टे. जिला पाली
5. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2017/00227

वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात वादी द्वारा ग्राम पुनाडिया स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 114 रकबा 2.00 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नंबर 115 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गै.मु.रास्ता कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.03 हैक्टर के संबंध मे वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29-08-24को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner